कार्यालय मुख्य वन संरक्षक, कांकेर वृत्त, कांकेर (छत्तीसगढ़)

ccf-kanker.cg@gov.in (07868) 222014 (07868) 222472

क्रमांक/मा.चि./2018/7064 कांकेर, दिनांक/06/10/2018

प्रति,

समस्त वनमण्डलाधिकारी
कांकेर वृत्त, कांकेर

विषय :– **वन संरक्षण अधिनियम 1980 अंतर्गत ओ.एफ.सी. लाईन के व्यपवर्तन प्रकरणों लिए जारी प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण को वेब पोर्टल पर अपलोड करने बाबत्।**

संदर्भ :– अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) छ.ग अटल नगर रायपुर/भू–प्रबंध/विविध/ 115–647/3296 दिनांक 04.10.2018

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न है का अवलोकन करें, जो आपको भी सीधे लेख कर प्रस्ताव मूलतः वापस किया गया है। छत्तीसगढ़ शासन वन विभाग पत्र क्रमांक/एफ 7–3/2018/10–2 दिनांक 26.05.2018 द्वारा ओ.एफ.सी. प्रकरणों के स्वीकृति का अधिकार वनमंडलाधिकारी को दिया गया है।

उपरोक्त के अनुपालन में समस्त वनमंडलाधिकारी को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) के पत्र क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115–30/1751 दिनांक 07.06.2018 द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रथम चरण की स्वीकृति आदेश अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर अपलोड करावें। उक्त निर्देश का अनुपालन आपके वनमंडल द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे पोर्टल पर प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदर्शित नहीं हो रही है।

अतः ओ.एफ.सी. लाईन के ऐसे प्रकरण जिसकी स्वीकृति का अधिकार वनमंडलाधिकारियों को दिया गया है, उन समस्त प्रकरणों में प्रथम चरण की स्वीकृति अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर ई.डी.एस. करते हुए अपलोड करना सुनिश्चित करें। जब तक प्रथम चरण की स्वीकृति वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है, कार्य अनुमति तथा द्वितीय चरण की स्वीकृति मान्य नहीं होगी। निर्देशों का पालन सुनिश्चित करना वनमंडलाधिकारी का व्यक्तिगत जवाबदारी होगी।

संलग्न :– **उपरोक्तानुसार।**

मुख्य वन संरक्षक
कांकेर वृत्त, कांकेर

D:\D.M. File 2017-18\DM File\Word File\Letter 003 (Short Matter).doc

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, छत्तीसगढ

अरण्य भवन, सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्पलेक्स, अटल नगर, रायपुर – 492002

(अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक – भू–प्रबंध)

दूरभाषः 0771 – 2512840

ई – मेलः apccf-lm.cg@gov.in

क्र./भू–प्रबंध/विविध/115–647/3296

रायपुर, दिनांक 04/10/2018

प्रति,

समस्त वन मंडलाधिकारी (क्षेत्रीय)
छत्तीसगढ़

ध्यानाकर्षण

विषयः– **वन संरक्षण अधिनियम, 1980 अंतर्गत ओ.एफ.सी. लाईन के व्यपवर्तन प्रकरणों को लिए जारी प्रथम चरण एवं द्वितीय चरण को वेब पोर्टल पर अपलोड़ करने बाबत् ।**

– **Registration No. FP/CG/Other/27433/2017**

संदर्भः 1. छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग का पत्र क्रमांक/एफ 7–3/ 2018/10–2 दिनांक 26.05.2018

2. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू–प्रबंध/विविध/115–30/1751 रायपुर, दिनांक 07.06.2018

= 0 =

1.0 विषयांतर्गत संदर्भित पत्र–1 के माध्यम से छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग द्वारा ओ.एफ.सी प्रकरणों के स्वीकृति का अधिकार वन मंडलाधिकारियों को दिया गया है।

2.0 उपरोक्त के अनुपालन में इस कार्यालय द्वारा समस्त वन मंडलाधिकारियों को संदर्भित पत्र-1,2 से निर्देशित किया गया है कि प्रथम चरण स्वीकृति आदेश अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर अपलोड करावें। उक्त निर्देश का अनुपालन वन मंडलों द्वारा नहीं किया जा रहा है, जिससे पोर्टल पर प्रथम चरण की स्वीकृति प्रदर्शित नहीं हो रही है।

3.0 मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त के पत्र क्रमांक/ मा. चि/ 2018/ 2218 दिनांक 20.08.2018 द्वारा केवल द्वितीय चरण स्वीकृति एवं उसका पालन प्रतिवेदन अपलोड किया है, जबकि उन्हे प्रथम चरण स्वीकृति अपलोड किया जाना था। प्रथम चरण की स्वीकृति का वेब पोर्टल में प्रदर्शन उपरांत ही द्वितीय चरण की स्वीकृति दी जा सकती है।

4.0 भविष्य में ओ.एफ.सी. लाईन के ऐसे प्रकरण जिसकी स्वीकृति का अधिकार वन मंडलाधिकारियों को दिया गया है, उन समस्त प्रकरणों के प्रथम चरण की स्वीकृति अनिवार्य रूप से वेब पोर्टल पर ई.डी.एस करते हुए अपलोड करना सुनिश्चित करें। जब तक प्रथम चरण की स्वीकृति वेब पोर्टल पर अपलोड नहीं की जाती है, कार्य अनुमति तथा द्वितीय चरण की स्वीकृति मान्य नहीं होगी।

5.0 निर्देशो का पालन सुनिश्चित करना वन मंडलाधिकारी की व्यक्तिगत जवाबदारी होगी।

(एस. एस. बजाज)
अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
छत्तीसगढ़

पृ. क्रमांक/भू–प्रबंध/विविध/115– 647/3297

रायपुर, दिनांक 04/10/2018

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः

1. **अपर मुख्य सचिव**, छत्तीसगढ़ शासन, वन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर।
2. **निज सहायक**, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, अरण्य भवन, अटल नगर, रायपुर।
3. **समस्त मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय)**, छत्तीसगढ़ को नियंत्रार्थ।

अ.प्र.मु.व.स (भू – प्रबंध / व.सं.अ)
O/C छत्तीसगढ़